



हिन्दी सान्ध्य दैनिक जौनपुर, लखनऊ व भदोही से प्रकाशित

# देश की उपसना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 01 अंक-106 : जौनपुर, गुरुवार 22 दिसम्बर 2022

सान्ध्य दैनिक ( संस्करण )

पेज -4 मूल्य : 2 रुपया

dku live & dkunews24

## मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय टीम-09 के साथ की समीक्षा : दिया आवश्यक दिशा-निर्देश

गोपनीय प्रधानमंत्री जी की बौद्धि विभिन्न देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड प्रबंग के लिए गठित उच्चस्तरीय टीम-09 के साथ गुरुवार को प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यद्यपि विभिन्न देशों में विगत एक सप्ताह से कोविड के नए केस में बढ़ोतारी देखी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य है। दिसम्बर माह में प्रदेश की कोविड पैंजिटिविटी दर 0.01% रही है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 62 है। विगत 24 घंटों में 27,208 हजार टेस्ट किए गए और एक भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई। इसी अवधि में 33 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड से बचाव के लिए ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका की रणनीति सफल हुई है। सभव है अनेकाले कुछ दिनों में नए केस में बढ़ोतारी हो, ऐसे में हमें अलर्ट रहना होगा। इह समय घबराने का नहीं, सतर्क और सावधान रहने का है। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सर्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें। पलिक एडेस सिस्टम को एविटव करें। कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूझता से नजर रखें।



उपलब्ध कराएं। कोविड के बीच अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया गया था। हर जिले में आईसीपी एंटीलैटर, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई थी। सभी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की क्रियाशीलता, डॉक्टरों, पैरेमेडिकल स्टाफ की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, हर अस्पताल में पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। चिकित्सा संस्थानों की अद्यतन आवश्यकताओं का परिक्षण करें हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों के नए पद सृजित किए जाएं। पुराने पदों में कोई कटौती न की जाए। यह कार्य शीर्ष प्राथमिकता के साथ किया जाए। अच्छी युगनवाता के साथ दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हों, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में जीवनरक्षक दवाओं की कमी न हो। मेडिकल स्पलाई कारपोरेशन की कार्यपद्धति में सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्र स्तर से विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाए। एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज लक्ष्य के सापेक्ष विगत दिनों 06 जनपदों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए 42 कपनियों/संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। योग्य और समर्थ का चयन कर यथाशीघ्र मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कोविड प्रबंधन से बचाव में टीकों की उपयोगिता ख्वास्ति है। 39.06 करोड़ वैक्सीनेशन डोज से काम की गई है। प्रदेश में 4.48 करोड़ प्रीकोंशन डोज भी लगाए जा चुके हैं। कोविड के नए वैरिएंट के दृष्टिकोण से ज्ञान अनिवार्य रूप से लागू हो। लोगों को प्रीकोंशन डोज की जरूरत और उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जाए। प्रयागराज माध मेले के व्यवस्थित आयोजन के लिए अंतर विभागीय समन्वय के साथ कार्य हो। कल्पवासियों, श्रद्धालुओं, साधु-संतों, को पूर्व में मिलने वाली सभी सुविधाओं मुहैया कराई जाए। प्रदेश में पहली बार च्यूनूतम समर्थन मूल्य पर हुई बाजार की खरीद की प्रगति उत्साहजनक है। अब तक 45000 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। किसानों को खदान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी जिले में कमी न हो।

कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाएं - विकास तिवारी

जौनपुर ( विशेष संवाददाता जय प्रकाश तिवारी ) : युवा अधिकारों सभ जौनपुर के तत्वाधान में प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति का नाम प्रस्तुत कर कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उपरोक्त अवसर पर दीवानी व्यायालय के अधिकार विकास तिवारी ने कहा कि सन 1936 में महाना गांधी जी ने एक समान शिक्षा की बात उठाई थी, 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21ए ( भाग 3 ) के माध्यम से 86वें संसदेश विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 बनाया गया, और एक साथ पूरे देश में लागू हुआ परिणामतः देश में शिक्षित लोगों की संख्या व शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा, देश की वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन करने पर व देश तथा प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध तथा अपराधिक घटनाओं को देखने पर यह आवश्यकता महसूस होती है कि भारत देश में प्राइमरी विद्यालयों की संख्या व शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा, देश की वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन करने पर व देश तथा प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध तथा अपराधिक घटनाओं को देखने पर यह आवश्यकता महसूस होती है कि कठोर कानून बने और इस कठोर कानून की मांग पर सरकार द्वारा समाज को एक नया कानून बनाकर देखा जा रहा है कि सिर्फ कानून बना देने से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का एकमात्र लग रहा है अपराध और अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का एकमात्र कठोर देश से ही अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए, उत्तर कार्टून के माध्यम से कानून के संदर्भ में जागरूकता लाना अपने आप में एक साराहीय कदम हो सकता है। जिस तरह से शिक्षा एक संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है ठीक उसी तरह शिक्षा में कानून संबंधित ज्ञान शिक्षा का अभिन्न एवं व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। आदर्श नागरिकता, कर्तव्य परायणता, समाज के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति एवं जीव जुतों के प्रति उदारता के साथ कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजगता एक आदर्श नागरिक की पहचान है। कानून का ज्ञान होना समाजिक नियंत्रण की दिशा में एक कारबाह कदम है, और आज आवश्यकता है कि कानून के ज्ञान सांस्कृतिक प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर करना तथा एक विद्यार्थी की जानकारी का एकमात्र अधिकार है ठीक उसी तरह शिक्षा को कानून का अधिकार" को मौलिक अधिकार का एक जिला देश से हो सकता है। जिस तरह से सरकार "कानून का अधिकार" को मौलिक अधिकार का एक विद्यार्थी की जानकारी को संवेदनशीलता लाना अपने आप में एक साराहीय कदम हो सकता है। जिस तरह से शिक्षा एक संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है ठीक उसी तरह शिक्षा में कानून संबंधित ज्ञान शिक्षा का अभिन्न एवं व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। आदर्श नागरिकता, कर्तव्य परायणता, समाज के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति एवं जीव जुतों के प्रति उदारता के साथ कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजगता एक आदर्श नागरिक की पहचान है। कानून का ज्ञान होना समाजिक नियंत्रण की दिशा में एक कारबाह कदम है, और आज आवश्यकता है कि कानून के ज्ञान सांस्कृतिक प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर करना तथा एक विद्यार्थी की जानकारी को संवेदनशीलता लाना अपने आप में एक साराहीय कदम हो सकता है। जिस तरह से सरकार "कानून का अधिकार" को मौलिक अधिकार का एक विद्यार्थी की जानकारी को संवेदनशीलता लाना अपने आप में एक साराहीय कदम हो सकता है। जिस तरह से शिक्षा एक संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है ठीक उसी तरह शिक्षा में कानून संबंधित ज्ञान शिक्षा का अभिन्न एवं व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। आदर्श नागरिकता, कर्तव्य परायणता, समाज के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति एवं जीव जुतों के प्रति उदारता के साथ कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजगता एक आदर्श नागरिक की पहचान है। कानून का ज्ञान होना समाजिक नियंत्रण की दिशा में एक कारबाह कदम है, और आज आवश्यकता है कि कानून के ज्ञान सांस्कृतिक प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर करना तथा एक विद्यार्थी की जानकारी को संवेदनशीलता लाना अपने आप में एक साराहीय कदम हो सकता है। जिस तरह से सरकार "कानून का अधिकार" को मौलिक अधिकार का एक विद्यार्थी की जानकारी को संवेदनशीलता लाना अपने आप में एक साराहीय कदम हो सकता है। जिस तरह से शिक्षा एक संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है ठीक उसी तरह शिक्षा में कानून संबंधित ज्ञान शिक्षा का अभिन्न एवं व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। आदर्श नागरिकता, कर्तव्य परायणता, समाज के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति एवं जीव जुतों के प्रति उदारता के साथ कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजगता एक आदर्श नागरिक की पहचान है। कानून का ज्ञान होना समाजिक नियंत्रण की दिशा में एक कारबाह कदम है, और आज आवश्यकता है कि कानून के ज्ञान सांस्कृतिक प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर करना तथा एक विद्यार्थी की जानकारी को संवेदनशीलता लाना अपने आप में एक साराहीय कदम हो सकता है। जिस तरह से सरकार "कानून का अधिकार" को मौलिक अधिकार का एक विद्यार्थी की जानकारी को संवेदनशीलता लाना अपने आप में एक साराहीय कदम हो सकता है। जिस तरह से शिक्षा एक संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है ठीक उसी तरह शिक्षा में कानून संबंधित ज्ञान शिक्षा का अभिन्न एवं व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। आदर्श नागरिकता, कर्तव्य परायणता, समाज के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति एवं जीव जुतों के प्रति उदारता के साथ कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजगता एक आदर्श नागरिक की पहचान है। कानून का ज्ञान होना समाजिक नियंत्रण की दिशा में एक कारबाह कदम है, और आज आवश्यकता है कि कानून के ज्ञान सांस्कृतिक प्रय



## इंजीनियरिंग संकाय में एलुमिनी मीट का हुआ आयोजन

जौनपुर ब्यूरो विश्वप्रकाश  
श्रीवास्तव : वीर बहादुर सिंह  
पूर्वा चल विश्वविद्यालय के  
इंजीनियरिंग संकाय में कंट्यूटर साइंस  
एंड इंजीनियरिंग एवं इनफार्मेशन  
टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा पोस्टर  
प्रतियोगिता एवं एलुमनाई मीट का  
आयोजन बुधवार को किया गया।  
एलुमनाई मीट में ऑफलाइन एवं  
ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित  
पुरातन छात्रों ने अपने विचारों को  
साझा किया। ऑनलाइन माध्यम से  
जुड़े पुरातन छात्र हर्ष श्रीवास्तव ने  
साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में रोजगार  
की संभावनाओं के बारे में बताया।  
आशीष कुमार सिंह ने वेब डेवलपमेंट  
के बारे में बताया। इसी क्रम में  
संदीप उपाध्याय ने बताया कि डाटा  
साइंस एवं मशीन लर्निंग के क्षेत्र में  
रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध  
हैं। कार्यक्रम में उपस्थित पुरातन  
छात्र कृष्णकांत द्विवेदी ने अपने  
अनुभवों को छात्रों के साथ साझा  
किया एवं छात्रों के प्रश्नों के उत्तर  
दिए। पुरातन छात्र जितेंद्र यादव ने  
तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ  
कम्युनिकेशन स्किल को भी बेहतर  
बनाने के तरीकों पर अपने विचार  
रखे। कार्यक्रम का संचालन अवनीश  
दुबे, यत्नदीप दुबे एवं गरिमा पांडे ने  
किया। पोस्टर प्रतियोगिता में 100  
से अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया।



गन्ना किसानों से अपील है कि अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर का  
इन बॉक्स खाली रखें तथा अपने मोबाइल को चालू रखें

जौनपुर सू.वि. : उप गन्ना  
आयुक्त/जिला गन्ना अधिकारी ने  
बताया कि वर्तमान पेराई सत्र  
2022-23 में कृषकों को गन्ना  
पर्चियां केवल एस.एम.एस. के रूप  
में मोबाइल फोन पर प्रेषित की  
जा रही हैं किन्तु कुछ कृषकों को  
प्रेषित एस.एम.एस फेल हो रहे हैं  
इसलिए यह आवश्यक है कि ई.  
आर.पी. पर कृषकों का सही  
मोबाइल नम्बर पंजीकृत हो। इस  
हेतु उन्होंने गन्ना कृषकों से अपील  
की है कि वे ई.आर.पी. पर पंजीकृत  
त अपने मोबाइल नम्बर की जांच  
कर लें, यदि नम्बर गलत है तो  
अपने गन्ना पर्यवेक्षक के माध्यम  
से अथवा ई-गन्ना ऐप पर स्तरण

अपना सही मोबाइल नम्बर अपडेट कर लें। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला गन्ना अधिकारी, जौनपुर ने बताया कि एस.एम.एस. इनबॉक्स भरा होने, मोबाइल स्थिच ऑफ होने, डी.एन.डी. ऐक्टिवेट होने या सही फोन नम्बर दर्ज न होने की स्थिति में एस.एम.एस. पर्ची का संदेश 24 घण्टे के पश्चात स्वतः निरस्त हो जाता है जिसके कारण कुछ गन्ना किसानों को अपनी पर्ची की जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है तथा उन्हें समय से गन्ना आपूर्ति करने में कठिनाई हो रही है। उस लिए सभी किसान

भाई समय से अपनी पर्ची प्राप्त करने हेतु अपना मोबाइल इनबॉक्स खाली रखें, मोबाइल को चार्ज करके चालू दशा में रखें तथा डी.एन.डी. को ऐकिटवेट न करें ताकि सर्वर द्वारा प्रेषित पर्ची उनके मोबाइल पर उह्ये रियल टाइम में प्राप्त हो जाय। पर्ची निर्गमन की वर्तमान व्यवस्था पूर्णतया पारदर्शी है। किसान के मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. पर्ची भेजे जाने से किसान को तत्काल पर्ची प्राप्त होती है और समय से पर्ची प्राप्त होने के कारण ताजा गन्ना मिल को आपूर्ति होता है जिससे किसान के गन्ने की सूख से होने वाली हानि से भी बचत होती है।

## आत्मनिर्भर भारत अभियान : खाद्य उद्योग मेले में लोगों ने सीखा स्वरोजगार के गुण

जौनपुर सू.वि. : आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत समाज के लोगों को खाद्य प्रसंस्करण से सम्बद्धि त उद्यमों को स्थापित करने एवं प्रशासने से संबंधित उद्यमों के आगे आने एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा उद्यम जागरूकता अभियान के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर आगंतुकों तथा अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए रोटीकृत कलब अध्यक्ष कुंवर शेखर गुप्ता ने योजना की समुचित जानकारी दी एवं नवीन उद्योग उपाये तथा समाज का समाज की तरफ से उत्तम संरक्षण का उपर्युक्त

नय उत्पाद का सूजन कर सकत है और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपायुक्त राष्ट्रीय आजीविका मिशन ओ. पी. यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने एवं स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए पीएमएफएमई योजना किसी वरदान से कम नहीं है। तिलकधारी महाविद्यालय के कृषि प्रसार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नलिन मिश्रा ने युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने, उपभोक्ता आदारित तरह तरह के उत्पादों को बनाने की विधियों के बारे में विस्तार से बताया। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र वाराणसी के प्रधानाचार्य बी. गौतम ने उद्यमियों को उद्योग लगाने, उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने, खाद्य उद्योगों में नवाचार हेतु विशेष गुर बताए। यूपीएसआरएलएम जिला मिशन प्रबंधन के अधिकारी डॉ. विजय कुमार ने उद्योग के व्यवसाय का अधिकारी किसानों को उद्योग के व्यवसाय का शुरू करना सफलता को सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम का कुशल संचालन रोट्रैक्ट क्लब जौनपुर के सचिव कुलदीप योगी द्वारा किया गया। इस अवसर पर रोट्रैक्ट क्लब अध्यक्ष कुंवर शेखर गुप्ता, सचिव कुलदीप योगी, कोषाध्यक्ष अनन्या गुप्ता, शाशिकांत, स्वेच्छा रानी, उद्यान विभाग से उद्यान निरीक्षक रविन्द्र सिंह, अरविंद कुमार सिंह, भोला प्रजापति, वंशराज प्रजापति, सुभाष सिंह, अभिलाष सिंह, अंशुल चतुर्वेदी, पंकज सिंह, पीयूष सिंह, शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी रामचन्द्र दूबे, चंचल शर्मा, अमरनाथ जायसवाल, सचिन साहू, मंजू पाल, आकाश्मा राय समेत दर्जनों उद्यमी एवं तिलकधारी महाविद्यालय के कृषि संकाय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया कि रोट्रैक्ट क्लब जौनपुर के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने तथा उन्हे जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक बृहस्पतिवार को लोहिया पर्यावरणीय पार्क में किया जाएगा, जिसमें दुष्ट उद्योग से साथ – साथ बेकरी से सम्बन्धित, दलहन एवं तिलहन उद्योग, पशु एवं मुर्मी चारा उद्योग, फल आधारित उत्पाद उद्योग, हर्बल उत्पाद उद्योग, मशरूम उत्पादन, मसाला आधारित उद्योग, आचार मुरब्बा सिरका उद्योग सहित बीस अन्य उद्योगों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए सरकार द्वारा विशेष समिति प्रदान की जा रही है, उक्त योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए इच्छुक लाभार्थी जिला उद्यान विभाग के आफिस अथवा रोट्रैक्ट क्लब के ऑफिस में

यातायात पुलिस जौनपुर द्वारा जारी कोहरे में दुर्घटनाओं से बचने के उपाय

श्री गुरु गोबिन्द सिंह के चारो साहिबजादों एवं  
माता गुरजर कौर का मनाया गया शालीदी दिवस

सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी के सदस्यों ने “मित्र प्यारे नैं हाल मुरीदां दा कहना” सिमरन साधना परिवार के बच्चों ने “सूरा सो पहचानिए लरै दीन के हेत। पुरजा-पुरजा कट मरे कबहु न छाड़ें खेत।” शबद कीर्तन गायन कर समूह संगत को भाव विभोर किया। रागी जत्था भाई चमनजीत सिंह जी लाल दिल्ली वालों ने “गुर किरपा जिह नर कुजु कीनी तिह इह जुगति पछानी।” शबद कीर्तन गायन कर साथ संगत को निहाल किया। भाई इन्दरजीत सिंह जी सादिक जी अमुतसर वालों ने “साच कहों सुन लहो सभै जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभु पाइयो।” शबद कीर्तन गायन किया। भाई गुरमीत सिंह जी उना साहिब वालों ने गुरबाणी कीर्तन “पहिला मरणु कबूलि जीवन को छड़ि आस, होहु समना की रेणुका तउ आउ हमारे पासि।” गायन कर समूह संगत को निहाल किया। दिन भर गुरबाणी कीर्तन तथा गुरमत विचारों का कार्यक्रम चला जिसका संचालन स0 सतपाल सिंह मीत ने किया। दीवान की समाप्ति के उपरान्त लखनऊ गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष स0 राजेन्द्र सिंह बग्गा जी ने चारों साहिब जादों एवं माता गुजर कौर की शहादत को एक बड़ी शहादत कहा और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किये। और समागम मैं महत्वपूर्ण योगदान के लिए पंजाबी महासभा के अनिल वर्मनी, राजकुमार बत्रा, पवन मनोचा और सुरेश तेजवानी का हार्दिक आभार प्रकट किया। समागम में लंगर के वितरण की सेवा हरमिन्दर सिंह टीटू एवं कुलदीप सिंह सलतूजा, इंदरजीत सिंह की देखरेख में दशमेश सेवा सोसाइटी के सदस्यों द्वारा की गयी। जोड़ा घर में जूते-चप्पल की सेवा सिक्ख सेवक जत्थे के राजवन्त सिंह बग्गा, कुलवन्त सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा की गई।

## टाला : याचियों का दावा—केंद्र के सहयोग छूटा था मुख्य आरोपी सीईओ राशिद नसीम

में हिस्सेदारी जानने पर बताया गया कि दोनों का हिस्सा 70 फीसदी है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया, ये दोनों किसी केस में अभियुक्त नहीं हैं। याचियों के अधिवक्ता एसएन श्रीवास्तव ने बताया, राशिद नसीम के भतीजे फैज अहमद और राशिद के बड़े भाई आकिब के खिलाफ 2020 में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राशिद के पासपोर्ट निरस्तीकरण के सवाल पर जब यूपी सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि उसने दुर्बई स्थित भारतीय दूतावास से अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा लिया है तो कोर्ट की हैरानी और बढ़ गई। सवाल किया कि एजेंसियां कैसी जांच कर रही हैं। शाइन सिटी की संपत्तियों की बिक्री पर रोक प्रयागराज के बारा तहसील के मौजा कांटी में शाइन सिटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की जमीन की बिक्री पर प्रवर्तन निदेशालय ने रोक लगा दी है। इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने सहायक महानिदेशक निबंधन को पत्र भेजा है। कंपनी की यहां करीब 100 बीघे जमीन हैं। शाइन सिटी ने वर्ष 2016 से 2019 के बीच कई बार इस जमीन का बैनामा कराया था। शाइन सिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किसानों से 123 गाटा खरीदकर निबंधन कार्यालय में करीब 80 बिक्रय अनुबंध पंजीकृत कराए थे। जमीन की खरीद के बाद यहां गेट लगाकर चहारदीवारी कराकर पौधे रोपे गए। जमीन बेचने के लिए कई ऑफर दिए गए। कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोगों ने प्लॉट खरीदे लेकिन उन्हें कब्जा नहीं मिला। दो वर्ष बाद जब कब्जा नहीं मिला तो पीड़ितों ने न्यायालय की शरण ली। इसकी जांच क्राइम ब्रांच और प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई। प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक राहुल वर्मा ने आठ दिसंबर को सहायक महानिदेशक, निबंधन प्रयागराज को जांच पूरी होने तक शाइन सिटी के नाम से खरीदी गई संपत्ति किसी अन्य के नाम क्रय बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश की प्रति उप निबंधन कार्यालय, बारा को भेजी गई है। बैनामे के बाद कब्जा न मिलने पर कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत हुई और कंपनी निदेशक पर मुकदमा दर्ज हुआ। वाराणसी जोन की क्राइम ब्रांच ने भूमि की जानकारी जुटानी शुरू की। फिर प्रवर्तन निदेशालय ने पत्र जारी कर शाइन सिटी से जुड़ी भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी। लोगों को ऐसे ठग मौजा कांटी में पांच वर्ष पूर्व शाइन सिटी कंपनी ने किसानों से जमीन लेकर प्लॉटिंग शुरू की। पहले बीस बीघे जमीन खरीदकर 50 बीघे का नक्शा तैयार किया। फिर उसी के आधार पर ब्रिकी शुरू की गई। लेकिन, कंपनी ने खरीदी गई भूमि से अधिक रकबा बेच दिया। इससे लोगों को कब्जा नहीं मिल सका। भूमि खरीदने वाले जय मिश्र, सुनील कुमार, सुनीता देवी, माया, अंजली, रामायण प्रसाद आदि ने बताया कि किस्तों में पूरी रकम अदा करने के बाद कंपनी ने बैनामा कर दिया, लेकिन मौके पर कब्जा देने वाला कोई नहीं मिला। मौजा कांटी में शाइन सिटी के नाम से भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस आशय का आदेश सहायक महानिदेशक निबंधन, प्रयागराज से आया है। याचियों का आदेश सहायक महानिदेशक निबंधन, प्रयागराज से आया है।

